भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–118/2020–21

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
04.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बंदगाँव का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 20.01.2021 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.01.2021 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.01.2021	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बंदगाँव का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी अगली तिथि 04.02.2021 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 04.02.2021 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
04.02.2021	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बंदगाँव के पत्रांक–02, दिनांक–05.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 22.01.2021 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बंदगाँव ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता मनसाराम महतो, पिता–राम रसीला महतो, जाति–कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला प० सिंहभूम ने मौजा–कराईकेला, थाना नं0–607, खाता नं०–308, खेसरा नं0–2258, रकवा–0.07.500 ए0 भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत क्रेता प्रतिभा महतो, पति–श्री लक्ष्मण महतो, जाति–कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला–प० सिंहभूम को बिक्री करना चाहते हैं। उक्त भूमि विक्रेता द्वारा डीड नं0–583, दिनांक–20.05.2015 द्वारा क्रय किया गया भूमि है। अंचल अधिकारी बंदगाँव के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवासीय भूमि है। दोनों पक्षों को आम सूचना निर्गत किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक मनसाराम महतो, पिता–राम रसीला महतो, जाति–कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, बंदगाँव के प्रतिवेदनानुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना क्षेत्र–कराईकेला, एवं जिला–प0 सिंहभूम के निवासी हैं। दोनों कुर्मी (अ.पि.वर्ग) समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज हेतु बेचना चाहते हैं। उक्त भूमि के हिस्सेदार श्री सुनील रंजन महतो, पिता–राम रसीला महतो, ग्राम+पो0–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा शपथ पत्र संख्या–101, दिनांक–15.12.2020 समर्पित कर बताया गया है कि बिक्रेता मनसाराम महतो, पिता–राम रसीला महतो, जाति–कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के द्वारा उनके हिस्से का 0.07.500 ए0 भूमि बिक्री करने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को जीवन–यापन हेतु कुल रकवा 4.00 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि बिक्रेता मनसाराम महतो, पिता–राम रसीला महतो, जाति–कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम–ओटार, थाना–कराईकेला, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	